**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 523**
**06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**केरल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत परिवार**

**523. श्री एंटो एन्टोनीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केरल में अब तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) केरल में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत कुल कितने आवास स्वीकृत और पूर्ण किए गए हैं;

(ग) देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए केरल सहित राज्यवार कुल कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) केरल में कार्यशील पीएमएवाई-यू परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है और उनके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय केरल राज्य सहित देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। इस योजना की अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे सीएलएसएस घटक को छोड़कर, वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत कुल 1.67 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से 1.31 लाख आवासों को पूरा किया गया है/लाभार्थियों में वितरित किया गया है। इसके अलावा, 2,781.19 करोड़ रुपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से, अब तक 2,377.12 करोड़ रुपये की राशी जारी की जा चुकी है।

पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, क्षेत्रीय दौरों और केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करता है। केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है ताकि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार सभी आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू  कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाया, खरीदा जा सके और किराए पर लिया जा सके।  अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को जारी किए जा चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन देने और परिचालन दिशानिर्देश देखने के लिए यूनिफाइड वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध है। केरल राज्य ने अभी तक पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए एमओए पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****

| दिनांक 06.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पीएमएवाई-यू के तहत केरल राज्य सहित स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण | | | | |
| क्रम संख्या | | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में) | जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में) |
| 1. | राज्य | आंध्र प्रदेश | 32,568.27 | 23,800.26 |
| 2 | | बिहार | 4,950.45 | 3,537.49 |
| 3. | | छत्तीसगढ़ | 4,810.98 | 4,266.60 |
| 4 | | गोवा | 74.76 | 75.04* |
| 5 | | गुजरात | 21,064.34 | 19,805.76 |
| 6 | | हरियाणा | 2,171.64 | 1,673.50 |
| 7 | | हिमाचल प्रदेश | 215.95 | 211.66 |
| 8 | | झारखंड | 3,603.31 | 3,115.57 |
| 9 | | कर्नाटक | 10,614.43 | 7,276.76 |
| 10 | | केरल | 2,781.19 | 2,377.12 |
| 11 | | मध्य प्रदेश | 15,930.45 | 15,555.00 |
| 12 | | महाराष्ट्र | 25,548.21 | 19,323.37 |
| 13 | | ओडिशा | 3,176.98 | 2,574.90 |
| 14 | | पंजाब | 2,342.54 | 1,949.02 |
| 15 | | राजस्थान | 5,891.67 | 4,983.68 |
| 16 | | तमिलनाडु | 11,185.30 | 10,338.05 |
| 17 | | तेलंगाना | 4,475.66 | 3,806.96 |
| 18 | | उत्तर प्रदेश | 27,962.68 | 27,118.30 |
| 20 | | उत्तराखंड | 1,176.51 | 988.83 |
| 20 | | पश्चिम बंगाल | 10,773.50 | 8,191.63 |
| उप- कुल (राज्य):- | | | 1,91,318.80 | 1,60,969.52 |
| 22 | उत्तर पूर्वी राज्य | अरुणाचल प्रदेश | 182.38 | 161.18 |
| 22 | | असम | 2,674.26 | 2,105.42 |
| 23 | | मणिपुर | 841.39 | 496.91 |
| 24 | | मेघालय | 72.35 | 48.23 |
| 25 | | मिजोरम | 607.80 | 477.46 |
| 26 | | नागालैंड | 503.91 | 418.37 |
| 28 | | सिक्किम | 6.13 | 7.09* |
| 28 | | त्रिपुरा | 1,494.35 | 1,292.99 |
| उप-कुल (उत्तर पूर्वी राज्य):- | | | 6,382.57 | 5,007.64 |
| 29 | संघ राज्य क्षेत्र | अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 5.84 | 2.93 |
| 30 | | चंडीगढ़ | 28.78 | 28.78 |
| 31 | | दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 214.40 | 204.56 |
| 32 | | दिल्ली | 692.53 | 692.53 |
| 33 | | जम्मू और कश्मीर | 724.94 | 483.48 |
| 34 | | लद्दाख | 30.22 | 25.23 |
| 35 | | लक्षद्वीप | - | - |
| 36 | | पुडुचेरी | 254.12 | 223.19 |
| उप- कुल (यूटी):- | | | 1,950.84 | 1,660.70 |
| कुल योग:- | | | 2.00 लाख करोड़ | 1.68 लाख करोड़ |

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत आवासों में कमी के कारण जारी राशि अधिक है।